

## जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(आर.ई.सर्किल)

क्र. जे.पी.डी./ अध्यक्ष.(डिस्कॉम्स )/अधी.अभि.(आर.ई)/ प. /प्रे. 225

जयपुर

दि. 19.2.18

आदेश

विषय:- वर्ष 2018-19 में कृषि कनेक्शन जारी करने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2 लाख कृषि कनेक्शन जारी किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उक्त क्रम में कृषि कनेक्शन जारी करने हेतु मांग पत्र जारी करने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है।

1. प्रथम चरण:- दिनांक 15.03.18 तक विभिन्न श्रेणियों के मांग पत्र निम्नानुसार जारी किए जायेंगे।

- (i) सामान्य वर्ग श्रेणी के दिनांक 31.01.2011 तक पंजीकृत आवेदन एवं सामान्य वर्ग श्रेणी के अधिभावी प्राथमिकता वाले आवेदन।
- (ii) बून्द-बून्द/फव्वारा/डिग्गी योजना, अनुसूचित जाति, तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र (विष्णनगंज व शाहबाद पंचायत समिति) के अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग श्रेणी के दिनांक 31.01.2018 तक पंजीकृत आवेदन।

2. द्वितीय चरण:- दिनांक 01.07.2018 से 15.07.2018 तक विभिन्न श्रेणियों के मांग पत्र निम्नानुसार जारी किए जायेंगे।

- (i) सामान्य वर्ग श्रेणी के दिनांक 31.01.2012 तक पंजीकृत आवेदन एवं सामान्य वर्ग श्रेणी के अधिभावी प्राथमिकता वाले आवेदन।
- (ii) बून्द-बून्द/फव्वारा/डिग्गी योजना, अनुसूचित जाति, तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र (विष्णनगंज व शाहबाद पंचायत समिति) के अनुसूचित जनजाति व सामान्य श्रेणी के दिनांक 01.02.2018 से 30.06.2018 तक पंजीकृत आवेदन।

3. तृतीय चरण:- बून्द-बून्द/फव्वारा/डिग्गी योजना, अनुसूचित जाति, तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र (विष्णनगंज व शाहबाद पंचायत समिति) के अनुसूचित जनजाति व सामान्य श्रेणी के 30.06.2018 के बाद पंजीकृत आवेदको के मांग पत्र माह अगस्त 2018 में व आगामी अवधि में जारी कियें जायेंगे।

सामुदायिक व सामुहिक सिंचाई योजना एवं शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में पॉलट्री फार्म योजना में प्राप्त आवेदनों का निस्तारण पूर्व की भांति कृषि कनेक्शन, नीति 2017 में निहित प्रावधानों के अनुरूप जारी किये जावेंगे।

मांग पत्र व कनेक्शन प्रचलित कृषि कनेक्शन नीति -2017 के प्रावधानों के अनुसार जारी किये जावेंगे।


उक्त आदेश तीनों विद्युत कम्पनियों पर लागू होगा।

Rd/10  
19.2.18  
(आर.एन.कुमारवत)  
मुख्य अभियन्ता (प्रोजेक्ट)



प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-अध्यक्ष डिस्कॉमस जयपुर।
- 2-प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि, जयपुर/अजमेर/जोधपुर
- 3-निदेशक (तकनीकी/वित्त) जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
- 4-सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर/भरतपुर/कोटा) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/भरतपुर/कोटा।
- 5-मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर।
- 6-अधीक्षण अभियन्ता (पवस/जे.सी.सी./जेपीडीसी/एम.आई.एस./प्लान/विधि/आई.टी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.।.....
7. अधीक्षण अभियन्ता (प्लान/पीपीएण्डएम) अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम अजमेर/जोधपुर।
8. प्रावैधिक सहायक,प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर
- 9-प्रावैधिक सहायक, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
- 10- प्रावैधिक सहायक राज्यमंत्री ऊर्जा विभाग, विद्युत भवन, जयपुर।
- 11- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. (रामबाग सर्किल ), जयपुर।
- 12-मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी ( ) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
- 13-सलाहकार आयुक्त (विद्युत) मिनी सचिवालय,जयपुर।
- 14-अधिशाषी अभियन्ता (पवस/ग्रिवीन्सेज) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
- 15- विशिष्ट सहायक सलाहकार (एम), मुख्यमंत्री सचिवालय राजस्थान सरकार जयपुर।
- 16-जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
- 17-निजी सचिव माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
- 18- निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर को सूचनार्थ।
- 19-इन्चार्ज, कन्ट्रोल रूम मुख्य अभियन्ता (जयपुर जोन) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि,जयपुर।

  
मुख्य अभियन्ता (प्रोजेक्ट)

81-5-2018  
(निदेशक, वित्त, प्रशासन)  
(अधीक्षण) मुख्य अभियन्ता